राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9709/2012

1. नोराती देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सुवा, पत्नी श्रवण लाल, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सोलावाटा, तहसील और जिला जयपुर।
2. शेओजीराम पुत्र स्वर्गीय श्री सुवा, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम हबसपुरा, सांभर, जयपुर।
3. ग्यारसी देवी पुत्री स्वर्गीय श्री सुवा, पत्नी जीवन, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम सोलावाटा, तहसील और जिला जयपुर।
4. शंकर लाल पुत्र स्वर्गीय श्री सुवा, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम हबसपुरा, सांभर, जयपुर।
5. श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सुवा, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम हबसपुरा, सांभर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर
3. तहसीलदार (भू-अभिलेख), फुलेरा, मुख्यालय, सांभर लेक, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

<u>से संबंधित</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9739/2012

सुवा पुत्र गोपाल, निवासी ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

2. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, जयपुर के माध्यम से।

3. अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर।

4. तहसीलदार (भू-अभिलेख), फुलेरा, मुख्यालय सांभर लेक, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9740/2012

कालू पुत्र लादू, निवासी ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

2. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, जयपुर के माध्यम से।

3. अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर।

4. तहसीलदार (भू-अभिलेख), फुलेरा, मुख्यालय सांभर लेक, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17386/2012

1. साधु, पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम बड़हल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

2. सुंदर लाल, पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम बड़हल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर।

2. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, जयपुर के माध्यम से।

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

3. तहसीलदार (भू-अभिलेख), फुलेरा, मुख्यालय सांभर लेक, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5062/2013

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री गोकुलचंद।

2. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मोहन लाल

3. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण, सभी निवासी भानपुर खुर्द, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।

2. राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, जयपुर के माध्यम से।

3. अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर प्रथम, जयपुर।

4. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री श्योगी राम शर्मा श्री लोकेश शर्मा
प्रतिवादी के लिए	:	श्री नीरज बत्रा, सरकारी वकील

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश

25/11/2024

1. ये पांच याचिकाएँ इस आदेश द्वारा तय की जा रही हैं क्योंकि इसमें शामिल तथ्य और मुद्दा समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 9709/12 से लिए जा रहे हैं।

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य है और भूमिहीन व्यक्ति था। 24.06.1976 को, ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में खसरा संख्या 376 में स्थित 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि याचिकाकर्ता को आवंटित की गई थी। भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन नारी सवाई चक्क बिल्ला लगानी के रूप में दर्ज थी। अब्दुल रहमान बनाम राज्य के मामले में इस उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय (2004) एससीसी ऑनलाइन राज 676 के आधार पर, तहसीलदार ने विचाराधीन भूमि की प्रविष्टि को राज्य के नाम पर बदलने की कार्यवाही शुरू की। 12.07.2005 को, तहसीलदार द्वारा एक संदर्भ तैयार करने का अनुरोध किया गया था। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, राजस्व मंडल को भेजा गया संदर्भ 09.01.2006 को स्वीकार कर लिया गया और इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान राज्य और अन्य बनाम अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड के मामले में (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1102 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि संदर्भ केवल अब्दुल रहमान (उपरोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए और जमीनी स्तर पर मौजूद तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किए बिना तैयार और तय किया गया था। दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने चुनौतीप्राप्त आदेश का बचाव किया और निवेदन किया कि अब्दुल रहमान (उपरोक्त) में जारी निर्देशों के मद्देनजर जोहड़ के जलग्रहण क्षेत्र को मूल निर्णयों में बहाल किया जाना था।

5. तहसीलदार द्वारा संदर्भ के लिए आवेदन, बिना सोचे-समझे एक मुद्रित प्रपत्र पर रिक्त स्थान भरकर किया गया था। राजस्व मंडल ने केवल अब्दुल रहमान (उपरोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संदर्भ का निर्णय किया। भूमि याचिकाकर्ता को वर्ष 1996 में आवंटित की गई थी। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने भूमि विकसित की है और अब्दुल रहमान (उपरोक्त) के मामले में केवल निर्णय पर भरोसा करते हुए अट्ठाईस वर्ष से अधिक समय बाद संदर्भ दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया।

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

6. सर्वोच्च न्यायालय ने द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अन्य बनाम अल्ट्राटेक (उपरोक्त) में अब्दुल रहमान (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया और यह कहा गया कि निर्देशों को राज्य द्वारा गलत पढ़ा गया था।

7. प्रासंगिक पैरा नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

> "8. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के अब्दुल रहमान के मामले में दिए गए निर्णय को भी अपीलकर्ता-राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से गलत पढ़ा जा रहा है। उक्त निर्णय में जलग्रहण क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसके लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था जिसमें जलग्रहण क्षेत्रों का सीमांकन, जल निकासी चैनलों का सीमांकन आदि शामिल था। उक्त निर्णय में कहीं भी यह नहीं देखा गया है कि राजस्व अभिलेखों में भूमि का तालाब के रूप में वर्णन, जब मौके पर कोई तालाब मौजूद नहीं है, तो स्थल निरीक्षण करने के बाद उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। हम प्रतिवादी-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन को स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि मौके पर किसी तालाब के अभाव में, अब्दुल रहमान के मामले में दिया गया निर्णय प्रतिवादी-कंपनी के सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए विचाराधीन भूमि के आवंटन के आवेदन को संसाधित करने में बाधा नहीं बन सकता है। उच्च न्यायालय ने महानिदेशक, अनुसंधान और विकास के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का सही उल्लेख किया है, जहां यह तथ्य नोट करते हुए कि मौके पर कोई 'गैर-मुमकिन' नाड़ी मौजूद नहीं थी, यह देखा गया था कि अब्दुल रहमान में उच्च न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित करने में बाधा नहीं बनेगा।"

8. राजस्व मंडल का चुनौतीप्राप्त आदेश रद्द किया जाता है और मामला राजस्व मंडल को कानून के अनुसार नए सिरे से संदर्भ का निर्णय करने के लिए वापस भेजा गया है।

9. आगे की देरी से बचने के लिए, पक्षकार 09.12.2024 को सुबह 11.00 बजे राजस्व मंडल के समक्ष उपस्थित हों।

10. याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

(अवनीश झिंगन), न्यायाधीश

चंदन / 66–70

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

रिपोर्ट करने योग्य: **हाँ**

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(29/05/2025 को 01:21:36 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)